वाणिज्य.–जोधपुर डिस्कॉम/ 404

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सी–पी)/अ.अ.(आर.ए.वा.)/फा /प्रे. 1059 दि. 30.7.07

आदेश

विषय : ग्रामीण क्षेत्रों मे घरेलू कनेक्शन जारी करने के लिये "प्रार्थना पत्र" के साथ सिर्फ "प्रार्थना पत्र शुल्क" ही लेने के सम्बंध में।

माननीय राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी "सप्लाई कोड (Supply Code)" एवं उनके द्वारा स्वीकृत "विद्युत आपूर्ति हेतु शर्ते एवं निबन्धन–2004 (TCOS-04)" के प्रावधानानुसार ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू श्रेणी के कनेक्शन जारी करने के लिये आवेदक को प्रार्थना पत्र के साथ ही "प्रार्थना पत्र शुल्क", "स्थाई सेवा शुल्क", "विद्युत उपभोग के सापेक्ष अमानत राशि" एवं "मीटर अमानत राशि" तथा "मीटर बॉक्स की कीमत" इत्यादी जमा करानी होती है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ ही उपरोक्तानुसार पूरी राशि जमा कराने से आवेदक यह चाहता है कि उसका कनेक्शन जल्द से जल्द हो जाना चाहिये। लेकिन कई बार कनेक्शन जारी करना तकनीकी रूप से साध्य नहीं होता। इस पारिस्थिति में आवेदक को कनेक्शन नहीं मिलने या देरी होनें से असुविधा होती है।

अतः इस विषय में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ केवल "प्रार्थना पत्र शुल्क" ही जमा किया जावे एवं आवेदक के कनेक्शन की तकनीकी साध्यता जॉचने के बाद ही अन्य राशि मॉग–पत्र के माध्यम से मांगी जावें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

आज्ञा से

(ए.एम. लोढ़ा)
मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर